# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

## पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 110/2010 (13/2020)

| वादीया :– | बनाम | प्रतिवादीगण :– |
|---|---|---|
| 1. भंवरकंवर पुत्री देवीदान, जाति चारण, निवासी रोहट, तहसील रोहट, जिला–पाली, (राजस्थान) | | 1. शक्तिदान पुत्र देवीदान<br>2. हरिसिंह पुत्र देवीदान जाति चारण निवासीगण चौपडा, तहसील सोजत, जिला पाली।<br>3. तहसीलदार(भूमि–धारक) सोजत।<br>4. भगवती देवी पत्नि पुनाराम जाति कुम्हार, नि0 लाणेरा, तह0 सोजत जिला पाली।<br>5. जीताराम पुत्र भीकाराम जाति जाट, नि0 सरकारी कर्मचारी कालोनी, श्रीराम पेट्रोल पम्प के पीछे, सोजतसिटी, तह0 सोजत। |

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राज0काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्र चौधरी एवं श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्तागण वादीया।
2. शक्तिदान, प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित।
3. श्री भरतनाथ अधिवक्ता प्रति0 सं0 4 1,5 उपस्थित ।

उप खण्ड अधिकारी सोजत (राज)

–: निर्णय :– दिनांक – 15/09/22

अधिवक्ता मय वादीया ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 24.09.2010 को राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि सरहद मौजा चौपडा तहसील सोजत में आई हुई स्थित है जिसके खसरा नंबर 931, 937, 945, 946, 994, 995, 1023, 1027 कुल खसरा 8 कुल रकबा 16.9400 हैक्टर है। वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का परिवार सजरा अनुसार देवीदान के पुत्र क्रमशः शक्तिदान एवं हरिसिंह तथा पुत्री भंवरकंवर है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता देवीदान वादस्थ कृषि भूमि पर काबिज काश्त थे तथा उनके देहान्त के बाद म्युटेशन वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व मोहनकंवर के हक में नामान्तरकरण संख्या 852 भरा गया। जिससे वादीनी एवं 1, 2 व मोहनकंवर की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि में प्रत्येक खातेदार एक बटा चार हिस्सा हुआ। मोहनकंवर ने अपना 1/4 हक हिस्सा वादीनी के पक्ष में जरिये हकतर्क तहरीर तकमील कर पंजीयन कार्यालय में दिनांक 20.03.2009 को पंजीयन करा दिया। जिसका म्यूटेशन वादीनी के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी सोजत

दिनांक 12.05.2009 को भरा गया, जिसके म्यूटेशन नंबर 915 है। मोहनकंवर ने अपना हिस्सा वादीनी के पक्ष में हक तर्क कर देने से मोहनकंवर के खातेदारी अधिकार वादीनी के पक्ष में हो चुके है। इसलिए मोहनकंवर का कोई हक हिस्सा वादस्थ आराजीयात में नहीं रहा है। इस प्रकार वादस्थ आराजीयात में वादीनी का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी का हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हक हिस्सा हुआ। वादीनी संपूर्ण वादस्थ आराजीयात में 1/2 हिस्से की मालिक हुई तथा वादस्थ आराजीयात में 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है। वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि का बंटवाडा मौके पर नहीं होने से वादीनी को काश्त करने भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादीनी इस वर्ष की सावणु फसल की काश्त करने हेतु वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि पर गई तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीनी की वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि पर काश्त करने में अडचन डालना शुरू कर दिया तथा वादीनी को अपने हिस्से की कृषि भूमि में काश्त नहीं करने देते है। जिससे व्यथित होकर वादीनी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतु तहसील कार्यालय चल कर बंटवाडा करने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीनी को कहा कि बंटवाडा करवा लेंगे। वादीनी दिनांक 14.09.2010 को वादस्थ कृषि भूमि पर काश्त करने हेतु गई एवं कंटीली झाडियो को काटने लगे तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीनी को काश्त करने में दखल अंदाजी करने लगे। वादीनी को धमकियां दी कि वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि में पैर भी नहीं रखने देंगे तथा वादस्थ कृषि भूमि से हमेशा हमेशा के लिए मेहरूम कर देंगे। वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतु तहसील कार्यालय में चल कर बंटवाडा करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने बंटवाडा करवाने से साफ इंकार कर दिया। इसलिए यह वाद बंटवाडा का विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 पेश किया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने वादीनी को वादस्थ कृषि भूमि से मेहरूम करने एवं कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कानूनन एवं न्याय संगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीया ने वाद पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर हस्ब ईश्तदुआ वाद पत्र डिक्री बहक वादिनी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस आशय की सादिर किये जाने की कि वादस्थ आराजीयात की उक्त कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादीनी का 1/2 हिस्से की कृषि भूमि को राजस्व रेकर्ड में अलग से तरमीम किया जावे एवं वादीनी के हिस्से की कृषि भूमि का लगान भी अलग से मुकर्रर किया जावे। स्थायी निषेधाज्ञा के जरिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पाबंद फरमाया जाने की कि वादस्थ कृषि भूमि पर वादीनी के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त के उपयोग–उपभोग में दखलअंदाजी न तो

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

स्वयं करे एवं न ही अपने नौकरों, एजेण्टों आदि से करावें, आदि से करावें, पाबंद किये जाने की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के जारी समनस आबाद मकान पर चस्पा होकर हुआ, जिससे बावजूद सम्मन तामील होने के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 19.09.2011 को की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 10.10.2011 को उपस्थित हुए, जवाबदावा मय मुजराई दावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा चौपडा में आई हुई है। मोहनकंवर ने अपना 1/4 हक हिस्सा वादीनी के पक्ष में जरिये हकतर्कनामा किया हो तो प्रतिवादी संख्या 1 शक्तिदान को जानकारी नहीं है, जो न्यायालय के विचारणीय है। वादीनी का यह कहना गलत है कि वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि का बंटवाडा मौके पर नहीं होने से वादीनी को काश्त करने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादीनी ने दिनांक 14.09.2010 को न तो कभी मिली न बंटवाडे करने का कहा। मुजरई दावा में निवेदन किया कि वादस्थ कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 शक्तिदान का 1/4 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगातार बिना किसी रोक टोक के काबिज काश्त चला आ रहा है। वर्णित कृषि भूमि का वर्गीकरण अनुसार यानि भूमि की किस्म एवं मौके की जांच रिपोर्ट मंगवा कर अच्छी किस्म की भूमि में से अच्छा का बंटवाडा प्रतिवादी के हक हिस्से में करवाया जावे। जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश कर वाद पत्र की उक्त वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड करवाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हक हिस्सा खातेदारी का अलग करवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में अलग से तरमीम करवाया जावे एवं लगान भी अलग से मुकर्रर करवाया जावे। वादीनी ने अपने वाद को साबित करने हेतु स्वयं के बयानों का शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र बयान की पुष्टि की तथा दस्तावेजात को प्रदर्शित किया।

बहस उभयपक्ष की सुनी गई अधिवक्ता मय वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने बंटवाडा की डिक्री करने में अपनी सहमति जाहिर की। पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रदर्श 1 सरहद मौजा चौपडा की जमाबंदी संवत 2053–2066 के खाता संख्या 202 में खातेदार देवीदान पुत्र भीमदान कौम चारण सा. देह के नाम खसरा नंबर 931 रकबा 0.4800

उपखण्ड अधिकारी
मोजत

किस्म बा.अ., 937 रकबा 1.0300 हैक्टर किस्म बा.अ., 945 रकबा 2.6400 हैक्टर किस्म बा.अ., 946 रकबा 5.1100 हैक्टर किस्म बा.अ., 994 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म गे.मु. बेरा, 995 रकबा 1.2200 हैक्टर किस्म चा.प्र.ब., 1023 रकबा 3.5500 हैक्टर किस्म नहरी अ., 1027 रकबा 2.9000 हैक्टर किस्म न.अ. कुल खसरा 8 कुल रकबा 16.9400 हैक्टर भूमि खातेदारी दर्ज है। इस जमाबंदी पर लगे नोट अनुसार विरासत नामा संख्या 852 दिनांक 16.02.2008 के अनुसार देवीदान फौत के स्थान पर मोहनकंवर पत्नी देवीदान, शक्तिदान, हरीसिंह पिता देवीदान, भंवरकंवर पुत्री देवीदान का नाम दर्ज किया गया था हकत्याग नामान्तरण संख्या 915 दिनांक 12.05.2009 के द्वारा मोहनकंवर पत्नी देवीदान की जगह भंवरकंवर पुत्री देवीदान के नाम अमल किया गया । प्रदर्श 2ए मोहनकंवर पत्नी देवीदान जाति चारण निवासी चौपडा द्वारा भंवरकंवर पुत्री देवीदान जाति चारण निवासी चौपडा हाल निवासी रोहट के हक में हकतर्कनामा निष्पादित किया गया जो दिनांक 20.03.2009 को रजिस्टर्ड है। इस हकतर्कनामा के द्वारा मोहनकंवर ने अपने 1/4 हिस्से को भंवरकंवर के हक में तर्क किया गया तथा इस हकतर्कनामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है जो प्रदर्श 1 में दर्शित है। इस प्रकार वादीया वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्से की खातेदार है। वादीया द्वारा अपने 1/2 हिस्से पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करने की ईस्तदुआ की गई है एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भी अपने 1/4 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करने की ईस्तदुआ मुजरई दावा में की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 का मुजरई दावा स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.12.2011 को जारी की गई कि सरहद मौजा चौपडा में स्थित खसरा नंबर 931 रकबा 0.4800 किस्म बा.अ., 937 रकबा 1.0300 हैक्टर किस्म बा.अ., 945 रकबा 2.6400 हैक्टर किस्म बा.अ., 946 रकबा 5.1100 हैक्टर किस्म बा.अ., 994 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म गे.मु.बेरा, 995 रकबा 1.2200 हैक्टर किस्म चा.प्र.ब., 1023 रकबा 3.5500 हैक्टर किस्म नहरी अ., 1027 रकबा 2.9000 हैक्टर किस्म न.अ. कुल खसरा 8 कुल रकबा 16.9400 हैक्टर कृषि भूमि के वादीया के 1/2 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्सा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस पक्षकाराने में बंटवाड़ा कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा भिजवाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया। तहरीर पत्रांक/कोर्ट/2020/175 दिनांक 30.01.2012 तथा स्मरण पत्रों द्वारा लिखा जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा चाहे जाने पर तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2020–21/839 दिनांक 15.05.2012 द्वारा भिजवाने पर एतराज

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

प्रति0 सं0 01 द्वारा पेश करने पर पुनः पत्रांक/कोर्ट/2012/791 दिनांक 23.05.2012 तथा स्मरण पत्रों द्वारा पुनः लिखा जाकर लिखवाने जाने पर तहसीलदार, सोजत ने पुनः विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रेषित किये, सा0मि0 है। समय–समय पर प्राप्त प्राथमिक डिक्री पर प्राप्त आपतियों पर बाद विधिक सुनवाई अवलोकन/मनन कर दिनांक 09.05.2014 को विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर पारित किया गया। माफिक तहसीलदार, सोजत के पत्रांक/राजस्व/14/24.04.2014 के संलग्न प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वाद डिक्री किया जाकर उभयपक्षों की सहमति जाहिर करने पर डिक्री पारित की गई।

उक्त निर्णय एवं डिक्री पर्चा जारी होने पर अधिवक्ता वादिया द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पेश करने पर न्यायिक प्रक्रियाधीन सुनवाई की जाकर धारा 152 सीपीसी का प्रा0 पत्र दिनांक 18.06.2014 को स्वीकार कर संशोधित डिक्री पर्चा मूर्तिब किया गया।

उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2014 मय संशोधित डिक्री के विरूद्ध माननीय सक्षम प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में अपील दायर करने पर बाद विधिक सुनवाई उनके द्वारा पारित निर्णय मय डिक्री दिनांक 28.11.2017 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में दायर अपील संख्या 7247/2017 शक्तिदान वगैरह बनाम हरिसिंह, भंवरकंवर के पारित निर्णय दिनांक 03.02.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने उक्त निर्णयानुसार माननीय न्यायालय राजस्व प्राधिकारी पाली के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2017 एवं न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2014 को निरस्त किया जाकर न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित कर बंटवाड़े के बाद में पारित प्रा0 डिक्री के अनुरूप उभयपक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार, स्वयं से विभाजन के प्रस्ताव तलब करने के उपरान्त आरटीएक्ट अधिनियम (राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 ) में प्रावधित प्रावधानों की पालना करते हुए उभयपक्ष को सुनकर बंटवाड़े की अंतिम डिक्री पारित करें। इस पर राजस्व वाद पुनः नम्बर पर लेकर दिनांक 11.02.2020 को दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 04.01.2021 एवं 25.10.2021 को उपस्थित प्रति0संख्या 01 एवं वादिया की उपस्थिति में सुनवाई की गई अधिवक्ता मय वादिया द्वारा दिनांक 28.03.2022 को प्रस्तुत प्रा0 पत्र आदेश 01 नियम 10(1) सीपीसी मय शपथ–पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय बहस अधिवक्ता वादीया सुनी जाकर बाद विधिक सुनवाई प्रा0 पत्र स्वीकार किया गया। संशोधित टाईटल पेश हुआ, सा0मि0 किया गया। प्रति0 संख्या 4 व 5 की ओर से श्री भरतनाथ अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

किया, सा0मि0 किया गया। तहसीलदार, सोजत को तहरीर पत्रांक/कोर्ट/20/718 दिनांक 18.12.2020 मय स्मरण पत्र द्वारा चाही गई आरटीएक्ट राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पत्रांक/राजस्व/2020–21/1968 दिनांक 23.02.2021 के जरिए विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत की, सा0मि0 है। प्राथमिक डिक्री में प्राप्त की गई पालना पर दिनांक 09.04.2021 प्रतिवादी संख्या 01 शक्तिदान ने आपति व्यक्त कर अंकित किया कि तहसीलदार, साहब मौके पर दिनांक 12.01.2021 को पधारे नही, भू0अभि0निरी0 व पटवारी ही आये थे उन्होने भी बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर बनाया ही नही जिसका पता बंटवाड़ा प्रस्ताव पर एक भी पक्षकार या मौतबिरान के हस्ताक्षर नही होने से विभाजन प्रस्ताव को देखते ही प्रथम दृष्टया पता चल जाता है। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 24.04.2014 के बंटवाड़ा प्रस्ताव की हूबहू नकल है जिसे वादीनी ने हस्ताक्षर करके स्वीकार किया था जो कि वादिनी ने अपनी मनमर्जी से इस बार भी बनवा लिया एवं न्यायालय में स्वीकार कर दिया जिसे राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार डिक्री सहित निरस्त किया था। खसरा नंबर 1027 जोकि बड़ा रकबा है किस्म नहरी अव्वल है जिसका लगान दर अन्य खसरा नंबर 931, 946, 945, 937 से ज्यादा है का बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस नही करके उतम कोटि की सारी भूमि वादीनी को दे दी गई जोकि नियम 18 से 21 की पालना अनुरूप नही है। इन सभी खसरो में से अच्छी भूमि दी जावे व यदि वादीनी को यह स्वीकार है तो मेरे वाली भूमि के स्थान पर वादीनी को एवं वादीनी के स्थान पर मुझे दे दी जावें। तो मुझे कोई आपति नही होगी। प्रा0 डिक्री हेतु पुनः बंटवाडा प्रस्ताव लाने हेतु पटवारी हल्का तहरीर भेजी जाये व मुझ प्रतिवादी संख्या 01 की मौजूदगी में मौके एवं बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाने की इस्तदुआ की है।

प्राथमिक डिक्री में प्राप्त की गई पालना पर दिनांक 28.10.2021 प्रतिवादी संख्या 01 शक्तिदान ने आपति व्यक्त कर अंकित किया कि कार्यालय तहसीलदार, सोजत के क्रमांक/राजस्व/2020–21/1968 दिनांक 23.02.2021 न्यायालय के समक्ष बंटवाडा प्रस्ताव पेश किया गया जोकि तहसीलदार, सोजत के बंटवाड़ा पत्र क्रमांक/राज/2014/2966 दिनांक 24.04.2014 की हूबहू नकल है जिस पर मैने अपनी आपति लिखित रूप से दिनांक 09.04.2021 को पेश कर दी। जिसे आगामी बहस आपति दिनांक 19.04.2021 की गई। लेकिन कोरोना द्वितीय लहर के कारण न्यायालय में आपति पर बहस व सुनवाई नही हुई। जिसमें न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 16.08.2021 दी गई एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान में अपने ही गांव में दिनांक 25.10.2021 को सुनवाई हेतु आगामी तिथि दी गई तथा दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

25.10.2021 को वादीनी प्रशासन गांवो के संग अभियान में आये थे जिसमें मेरे वादीनी को जोकि 1/2 हिस्से की हकदार है। समस्त उपजाउ भूमि अपने 1/2 हिस्से में बंटवाड़ा प्रस्ताव में दी गई है से मुझे भी 1/4 हिस्सा जोकि मेरा बनता है तथा अपने उपजाउ हिस्से की जगह मुझे व मेरे हिस्से के स्थान पर उन्हे लेकर सहमति बनाने हेतु चर्चा की लेकिन सहमत नही हुए तथा सहमति नही बन पाई। एवं स्वास्थ्य ठीक नही होने का कहकर अपने निवास स्थान चले गए। मै जब श्रीमान के पास अपनी सुनवाई बाबत आया तब श्रीमान ने न्यायालय में सुनवाई होगी के बारे में बताया। अतः आगामी पेशी हेतु राजस्व शाखा में गया वहां सहमति न बनने से व आपति पर सुनवाई न हो पाने के कारण बहस सुनवाई तिथि के बारे में पता करने पर दिनांक 28.10.2021 सोजत में बताई एंव गांवो के संग अभियान की सील पत्रावली में लगाकर सोजत समय पर उप0 होने हेतु कहा। फाईल नोटशीट में 25.10.2021 को वादीनी के उपस्थिति हस्ताक्षर देखकर मेने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करने बाबत्, हस्ताक्षर कर उपस्थिति दर्ज करवायी। जबकि एक अन्य हस्ताक्षर भी नोटशीट में देखे जो जाने पहचाने लगें। एवं पत्रावली में मेरे द्वारा दी गई आपति पत्र पत्रावली में नही मिला जिस बाबत भी मैने पूछा जबकि बंटवाड़ा प्रस्ताव पर लिखित आपति पत्रावली में नही मिलने या अमल में न लाकर सुनवाई होने पर बंटवाडे की अंतिम डिक्री पर विपरित प्रभाव डाल सकती है। अतः श्रीमान से पुनः अनुरोध है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णयानुसार राज0 काश्त0 अधि0 18 से 21 में प्रावधित प्रावधानो की पालना करते हुए उभय पक्ष को सुनकर एवं मेरे द्वारा दी गई आपति पर सुनवाई करवाकर भी बंटवाडे की अंतिम डिक्री पारित करावें।

उक्त प्रा0 पत्रों पर की गई आपति पत्रों पर सुनवाई हेतु प्रति0 संख्या 01 को दिनांक 28.10.2021 के पश्चात् से लगातार मुकरर्र तारीख पेशी पर बार–बार अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जिससे प्रा0 पत्र में सारसहीन तथ्य होना तथा प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब किया जाना ज्ञापित होता है। प्रतिवादी स्वयं अपने सुविधा के हिसाब से स्वयं द्वारा चाही गई भूमि के अनुरूप बंटवाडा चाहता है। प्रकरण का निस्तारण नही हो इस बाबत बार बार आपतियॉ प्रस्तुत किया जाना ज्ञापित होता है जिससे प्रा0 पत्र आपति खारिज की जाती है। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा नियम 18 से 21 पर एकपक्षीय बहस अधिवक्ता वादिया मुकरर्र की गई। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव आर0टी0एक्ट0 एवं आर0टी0एक्ट नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया। तहसीलदार द्वारा बावजूद नोटिसेज उपस्थित पक्षकार की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

नजरी नक्शा में की गई स्वीकारोक्ति/सहमति अनुसार माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा नियम 18 से 21 आरटीएक्ट 1955 (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 अनुसार अधिवक्ता श्री भरतनाथ प्रति संख्या 4 व 5 उपस्थित आये जिन्होने विभाजन प्रस्तावानुसार बंटवाडा करवाये जाने पर स्वीकारोक्ति/ सहमति के आदेशिका पर हस्ताक्षर किये है, जिससे वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग से निर्धारण किये जाने तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

## –: आदेश :–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा चौपडा तहसील सोजत के खसरा नंबर 931 रकबा 0.4800 हैक्टर, किस्म बा.अ., 937 रकबा 1.0300 हैक्टर किस्म बा.अ., 945 रकबा 2.6400 हैक्टर किस्म बा.अ., 946 रकबा 5.1100 हैक्टर किस्म बा.अ., 994 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म गे.मु.बेरा, 995 रकबा 1.2200 हैक्टर किस्म चा.प्र.ब., 1023 रकबा 3.5500 हैक्टर किस्म नहरी अ., 1027 रकबा 2.9000 हैक्टर किस्म न.अ. कुल खसरा 8 कुल रकबा 16.9400 हैक्टर कृषि भूमि पक्षकारानो में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा निम्नांकित रूप से पक्षकारानों मे किया जाता है:–

| क्र.स. | नाम खातेदार | ख0सं0 | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भंवरकंवर पुत्री देवीदान चारण सा. देह खातेदार | 931 | 0.24 | बा.अ. | 23.15 |
| | | 937 | 0.5150 | बा.अ. | 23.15 |
| | | 945 | 1.32 | बा.अ. | 23.15 |
| | | 946 | 2.5550 | बा.अ. | 23.15 |
| | | 995 | 0.61 | चासो | 9.30 |
| | | 1023 | 0.3250 | न.अ. | 45.15 |
| | | 1027 | 2.9000 | बा.अ. | 45.15 |
| | योग:– | 07 | 8.4625 | – | 77.60 |
| 2 | शक्तिदान पुत्र देवीदान कौम चारण सा. देह खातेदार | 931/1 | 0.12 | बा.अ. | 11.58 |
| | | 937/1 | 0.2575 | बा.अ. | 11.58 |
| | | 945/1 | 0.66 | बा.अ. | 11.58 |
| | | 946/1 | 1.2775 | बा.अ. | 11.58 |
| | | 995/1 | 0.3250 | चासो | 4.65 |
| | | 1023/1 | 1.6125 | न.अ. | 2.51 |
| | योग:– | 06 | 4.2325 | – | 38.38 |

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | हरिसिंह पुत्र देवीदान कौम चारण सा. देह खातेदार | 931/2<br>937/2<br>945/2<br>946/2<br>995/2<br>1023/2 | 0.12<br>0.2575<br>0.6600<br>1.2775<br>0.3050<br>1.6125 | बा.अ.<br>बा.अ.<br>बा.अ.<br>बा.अ.<br>चासो<br>न.अ. | 11.58<br>11.58<br>11.58<br>11.58<br>4.65<br>27.57 |
| | योगः– | 06 | 4.2325 | – | 38.38 |
| 4 | भंवरकंवर पुत्री देवीदान 1/2<br>शक्तिदान पुत्र देवीदान 1/4<br>हरिसिंह पुत्र देवीदान 1/4<br>कौम चारण सा. देह खातेदार | 994 | 0.01 | गै.मु.<br>बेरा | – |
| | योगः– | 01 | 0.01 | गै.मु.<br>बेरा | – |

वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर न्यायालय को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 12.01.2021 की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जागिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 15/09/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जागिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

# डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली**

**बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.**

**वादीया :–** **बनाम** **प्रतिवादीगण :–**

1. भंवरकंवर पुत्री देवीदान, जाति चारण, निवासी रोहट, तहसील रोहट, जिला–पाली, (राजस्थान)

1. शक्तिदान पुत्र देवीदान
2. हरिसिंह पुत्र देवीदान जाति चारण निवासीगण चौपडा, तहसील सोजत, जिला पाली।
3. तहसीलदार(भूमि–धारक) सोजत।
4. भगवती देवी पत्नि पुनाराम जाति कुम्हार, नि0 लाणेरा, तह0 सोजत जिला पाली।
5. जीताराम पुत्र भीकाराम जाति जाट, नि0 सरकारी कर्मचारी कालोनी, श्रीराम पेट्रोल पम्प के पीछे, सोजतसिटी, तह0 सोजत।

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राज0काश्त0 अधिनियम 1955**

राजस्व वाद संख्या :– 110/2010 (13/2020)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्तागण वादीया श्री राजेन्द्र चौधरी एवं श्री महेन्द्र चौधरी तथा प्रतिवादी संख्या 01 तथा अधिवक्ता श्री भारतनाथ प्रति0 संख्या 04, 05 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा चौपडा तहसील सोजत के खसरा नंबर 931 रकबा 0.4800 हैक्टर, किस्म बा.अ., 937 रकबा 1.0300 हैक्टर किस्म बा.अ., 945 रकबा 2.6400 हैक्टर किस्म बा.अ., 946 रकबा 5.1100 हैक्टर किस्म बा.अ., 994 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म गे.मु. बेरा, 995 रकबा 1.2200 हैक्टर किस्म चा.प्र.ब., 1023 रकबा 3.5500 हैक्टर किस्म नहरी अ., 1027 रकबा 2.9000 हैक्टर किस्म न.अ. कुल खसरा 8 कुल रकबा 16.9400 हैक्टर कृषि भूमि पक्षकारानो में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा निम्नांकित रूप से पक्षकारानों मे किया जाता है:–

| क्र.स. | नाम खातेदार | ख0सं0 | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भंवरकंवर पुत्री देवीदान चारण सा. देह खातेदार | 931 | 0.24 | बा.अ. | 23.15 |
| | | 937 | 0.5150 | बा.अ. | 23.15 |
| | | 945 | 1.32 | बा.अ. | 23.15 |
| | | 946 | 2.5550 | बा.अ. | 23.15 |
| | | 995 | 0.61 | चासो | 9.30 |
| | | 1023 | 0.3250 | न.अ. | 45.15 |
| | | 1027 | 2.9000 | बा.अ. | 45.15 |
| | योग:– | 07 | 8.4625 | – | 77.60 |

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | शक्तिदान पुत्र देवीदान कौम चारण सा. देह खातेदार | 931/1<br>937/1<br>945/1<br>946/1<br>995/1<br>1023/1 | 0.12<br>0.2575<br>0.66<br>1.2775<br>0.3250<br>1.6125 | बा.अ.<br>बा.अ.<br>बा.अ.<br>बा.अ.<br>चासो<br>न.अ. | 11.58<br>11.58<br>11.58<br>11.58<br>4.65<br>2.51 |
| | योगः– | 06 | 4.2325 | – | 38.38 |
| 3 | हरिसिंह पुत्र देवीदान कौम चारण सा. देह खातेदार | 931/2<br>937/2<br>945/2<br>946/2<br>995/2<br>1023/2 | 0.12<br>0.2575<br>0.6600<br>1.2775<br>0.3050<br>1.6125 | बा.अ.<br>बा.अ.<br>बा.अ.<br>बा.अ.<br>चासो<br>न.अ. | 11.58<br>11.58<br>11.58<br>11.58<br>4.65<br>27.57 |
| | योगः– | 06 | 4.2325 | – | 38.38 |
| 4 | भंवरकंवर पुत्री देवीदान 1/2<br>शक्तिदान पुत्र देवीदान 1/4<br>हरिसिंह पुत्र देवीदान 1/4<br>कौम चारण सा. देह खातेदार | 994 | 0.01 | गै.मु.<br>बेरा | – |
| | योगः– | 01 | 0.01 | गै.मु.<br>बेरा | – |

वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। त हसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15/09/22 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

| मद्दई | रूपया | न.पै. | मुद्दायला | रूपया | न.पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा | शून्य | शून्य | स्टाम्प वकलतनामा | शून्य | शून्य |
| स्टाम्प वकालतनामा | शून्य | शून्य | स्टाम्प अरजी | शून्य | शून्य |
| स्टाम्प वजह सबूत | शून्य | शून्य | महनताना वकल | शून्य | शून्य |
| महनताना वकील पर | शून्य | शून्य | खर्चा गवाहान | शून्य | शून्य |
| खर्चा गवाहान | शून्य | शून्य | फीस कमिश्नर | शून्य | शून्य |
| फीस कमिश्नर | शून्य | शून्य | बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | शून्य |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | शून्य | मुतफर्रिक | शून्य | शून्य |
| मतफर्रिक | शून्य | शून्य | | | |
| मद्दई | रूपया | न.पै. | मुद्दायला | रूपया | न.पै. |